गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 229
दि. 20.12.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

बेटिंग एप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई खेल और सिनेमा जगत में मचा हड़कंप

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एप 1xBet से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसके दायरे में आने वाले नामों की सूची भी लंबी होती जा रही है। क्रिकेट और फिल्मी दुनिया की चर्चित हस्तियों के बाद अब राजनीति से जुड़े एक पूर्व सांसद का नाम सामने आने से इस प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। ईडी ने इस मामले में ताजा कार्रवाई करते हुए 7.93 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं, जिससे अब तक अटैच की गई कुल संपत्ति का आंकड़ा 19 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह मामला अभी शुरुआती दौर में ही है और आने वाले दिनों में कई अन्य जाने-माने चेहरे भी ईडी की पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि 1xBet से जुड़े कथित अवैध लेन-देन के तार देश के बाहर तक फैले हुए हैं और इसी नेटवर्क के जरिए भारत में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया गया। जांच के दौरान जिन नामों का खुलासा हुआ है, उनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और अंकुश हजरा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म जगत से अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद व अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का नाम भी जांच में सामने आया है। ईडी का दावा है कि इन सभी से जुड़े वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की गई है और इसी के आधार पर संपत्तियों को अटैच किया गया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, युवराज सिंह से जुड़ी करीब 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति, रॉबिन उथप्पा से संबंधित 8.26 लाख रुपये की संपत्ति जो उनकी मां के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है, अभिनेता सोनू सूद की 1 करोड़ रुपये, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये, अंकुश हजरा की 47.20 लाख रुपये और अभिनेत्री नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई गुरुवार को की गई। इससे पहले भी ईडी इस मामले में कई चर्चित नामों पर हाथ डाल चुकी है, जिनमें शिखर धवन से जुड़े 4.55 करोड़ रुपये और पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना से संबंधित 6.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। इन सभी को मिलाकर अब तक 1xBet मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 19.07 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इन सेलिब्रिटीज ने अपने एजेंटों के माध्यम से 1xBet को प्रमोट करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ विज्ञापन अनुबंध किए थे। इन अनुबंधों के तहत उन्हें भुगतान भी विदेशी कंपनियों और बिचौलियों के जरिए किया गया, ताकि फंड के वास्तविक और कथित अवैध स्रोत को छिपाया जा सके। जांच एजेंसी का आरोप है कि यह पूरा तंत्र अवैध सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को वैध दिखाने के लिए बनाया गया था, जिसमें लेयर्ड ट्रांजैक्शन और सरोगेट ब्रांडिंग का सहारा लिया गया।

ईडी के अनुसार, 1xBet भारत में बिना किसी वैध अनुमति के काम कर रहा था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया के जरिए भारतीय यूजर्स को टारगेट कर रहा था। इस दौरान खुले तौर पर सट्टेबाजी का प्रचार न कर, बल्कि दूसरे नामों और ब्रांड्स के जरिए अप्रत्यक्ष विज्ञापन किए गए, ताकि कानून की नजर से बचा जा सके। जांच एजेंसी का कहना है कि एंडोर्समेंट के लिए किए गए भुगतान भी जानबूझकर विदेशी माध्यमों से किए गए, जिससे पैसों की असली प्रकृति और स्रोत को छिपाया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है और ईडी कई और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में खेल, सिनेमा और राजनीति से जुड़े कुछ और बड़े नाम भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ संबंधित हस्तियों में, बल्कि पूरे खेल और मनोरंजन जगत में हड़कंप मचा हुआ है और सभी की नजरें अब ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

राहत आधी, संकट बाकी: कोकाटे को जमानत मिली, दोषसिद्धि पर हाई कोर्ट की सख्ती

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व खेल एवं युवा कार्य मंत्री और एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायक माणिकराव कोकाटे को धोखाधड़ी और जालसाजी के एक पुराने मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से आंशिक राहत तो मिली, लेकिन कानूनी संकट पूरी तरह टला नहीं है। हाई कोर्ट ने नासिक सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कोकाटे को एक लाख रुपये के मुचलके और श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दे दी। इसके साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लग गई, लेकिन अदालत ने सत्र अदालत के फैसले पर स्थगन देने से साफ इनकार कर दिया। इसका सीधा अर्थ यह है कि माणिकराव कोकाटे इस मामले में अब भी दोषी माने जाएंगे और उनकी विधायकी पर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को लेना होगा।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस आर.एन. लड्ढा की पीठ के समक्ष कोकाटे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम और एडवोकेट अनिकेत निकम ने विस्तार से पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिस 25 एकड़ जमीन का जिक्र अभियोजन कर रहा है, वह कोकाटे के पिता की थी, न कि स्वयं माणिकराव कोकाटे की। इस पर हाई कोर्ट ने तीखे सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि इतनी बड़ी जमीन परिवार की थी, तो उसका उल्लेख हलफनामे में क्यों नहीं किया गया। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या खेती से होने वाली आय और जमीन को छिपाना संपत्ति छिपाने की श्रेणी में नहीं आएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आवेदन और हलफनामे में स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है, जो गंभीर सवाल खड़े करता है।

गौरतलब है कि नासिक की सत्र अदालत ने 1995 के एक मामले में माणिकराव कोकाटे को दो साल की सजा सुनाई थी और उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया था। इस फैसले से पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सजा को भी सत्र अदालत ने बरकरार रखा था। कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने 1989 से 1994 के बीच नासिक के पॉश इलाके कॉलेज रोड स्थित 'निर्माण व्यू' अपार्टमेंट में चार सरकारी फ्लैट हासिल करने के लिए खुद को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बताया था, जबकि वास्तविकता में उनकी आर्थिक स्थिति पात्रता मानकों से अधिक थी। इस सजा के चलते उन्हें मंत्री पद भी गंवाना पड़ा।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जोर देकर कहा कि 1989 में जब कोकाटे ने आवेदन किया था, उस समय उनकी आय पात्रता सीमा के भीतर थी। आवेदन 11 सितंबर 1989 को किया गया था और उसका विधिवत सत्यापन भी हुआ था। वकीलों ने तर्क दिया कि भले ही 1993-94 में उनकी आय बढ़कर 34 हजार रुपये से अधिक हो गई हो, लेकिन पात्रता का निर्धारण आवेदन की तारीख के आधार पर होना चाहिए, न कि बाद की आय के आधार पर।

वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने अदालत के सामने यह भी कहा कि कोकाटे को जिस फॉर्जरी के आरोप में दोषी ठहराया गया है, वह कानूनन सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन दस्तावेजों की बात की जा रही है, उन पर हस्ताक्षर स्वयं माणिकराव कोकाटे के हैं। कोई व्यक्ति अपने ही हस्ताक्षर की फॉर्जरी कैसे कर सकता है। उनके अनुसार, यदि किसी दस्तावेज में जानकारी गलत भी हो, तो मात्र गलत जानकारी देना फॉर्जरी नहीं माना जा सकता, इसके बावजूद कोकाटे को भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के तहत दोषी ठहराया गया है, जो विधि के अनुरूप नहीं है। बचाव पक्ष ने सत्र अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाए और कहा कि कोकाटे की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल अनुमान के आधार पर किया गया। फैसले में 1984 से 1990 तक के लेखा-जोखा का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है, जो काफी सतही और कैजुअल नजर आता है। सुनवाई के दौरान कोकाटे की स्वास्थ्य स्थिति का भी जिक्र किया गया। बचाव पक्ष ने लीलावती अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि माणिकराव कोकाटे फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक है। डॉक्टरों ने उसी दिन उनकी तत्काल एंजियोप्लास्टी की सलाह दी है। वहीं, सरकारी पक्ष ने बचाव पक्ष की दलीलों का कड़ा विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि 1994 में हलफनामे में संपत्ति के खुलासे से जुड़े नियम जोड़े गए थे, इसलिए केवल 1989 के आवेदन के आधार पर पूरे मामले का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निचली अदालत में गलत जानकारी और झूठे बयान देकर जमानत हासिल की गई थी। इस पर जस्टिस लड्ढा ने सवाल उठाया कि यदि ऐसा था, तो उस समय इस पर क्या कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान स्थिति उस समय और जटिल हो गई, जब सरकारी वकील राज्य सरकार का स्पष्ट रुख अदालत के सामने नहीं रख पाए। अदालत ने बार-बार पूछा कि सरकार इस याचिका का विरोध कर रही है या नहीं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सरकारी वकील ने केवल इतना कहा कि उन्हें "तथ्यों को अदालत के समक्ष रखने" के निर्देश मिले हैं। जब उन्होंने समय मांगा, तो हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सुनवाई टालने से इनकार कर दिया।

इस तरह, माणिकराव कोकाटे को जमानत मिलने से तत्काल गिरफ्तारी का खतरा टल गया है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक न लगने से उनकी राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें अभी बरकरार हैं। अब इस पूरे मामले में अगला अहम फैसला विधानसभा अध्यक्ष और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

महुआ मोइत्रा मामले में सीबीआई को झटका, चार्जशीट पर फिलहाल लगी रोक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के बहुचर्चित मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को शुक्रवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल द्वारा सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सीबीआई अब इस आदेश के आधार पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकेगी। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि लोकपाल ने इस मामले में कानून की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया और निर्णय लेने में गलती की है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने लोकपाल के 12 नवंबर को दिए गए आदेश को खारिज करते हुए कहा कि लोकपाल को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत नए सिरे से कानून के अनुसार फैसला करना होगा। अदालत ने लोकपाल को एक महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ जांच या अभियोजन की मंजूरी देने से पहले उसकी बात सुनना और उसका पक्ष लेना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि लोकपाल ने जल्दबाजी में सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी, जबकि कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि संबंधित जनप्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष का कहना था कि यह प्रक्रिया न अपनाने से लोकपाल का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। हाईकोर्ट ने इन दलीलों से सहमति जताते हुए लोकपाल के फैसले को रद्द कर दिया। यह मामला अक्टूबर 2023 में उस समय सामने आया था, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि महुआ ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महंगे उपहार और पैसे लेकर संसद में अडाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल पूछे। आरोपों में यह भी कहा गया था कि इस पूरे मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया गया। इन आरोपों के बाद मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास भेजा गया था। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने जांच के बाद महुआ मोइत्रा को दोषी माना और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके निष्कासन की सिफारिश की। इसके बाद लोकसभा ने महुआ मोइत्रा को सांसद पद से निष्कासित कर दिया था। संसद से निष्कासन के बाद यह मामला लोकपाल के पास पहुंचा, क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत सांसद लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि आरोप रिश्वत, अनुचित लाभ या प्रभाव से जुड़े हों, तो लोकपाल को जांच कराने का अधिकार है। लोकपाल ने मामले की जांच के बाद सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दी थी, जिसे अब दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हालांकि अदालत के इस फैसले का यह मतलब नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। हाईकोर्ट ने लोकपाल को दोबारा कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अब लोकपाल को महुआ मोइत्रा का पक्ष सुनकर और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए नए सिरे से फैसला करना होगा।

तेलंगाना में नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका, 41 माओवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

(जीएनएस)। हैदराबाद। तेलंगाना में प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन को उस समय बड़ा झटका लगा, जब उसके 41 सक्रिय सदस्यों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ने का ऐलान किया। आत्मसमर्पण करने वालों में छह वरिष्ठ कैडर के नक्सली भी शामिल हैं, जो कंपनी, प्लाटून और डिविजनल कमेटी स्तर पर संगठन की गतिविधियों में अहम भूमिका निभा रहे थे। राज्य के पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति की सफलता का नतीजा है।

डीजीपी के अनुसार, सरेंडर करने वाले माओवादियों ने न केवल संगठन से नाता तोड़ा, बल्कि अपने पास मौजूद हथियार भी पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस को कुल 24 हथियार सौंपे गए हैं, जिनमें INSAS LMG, AK-47, SLR जैसी घातक राइफलें और 733 जिंदा कारतूस शामिल हैं। यह हथियार लंबे समय से जंगलों और दुर्गम इलाकों में माओवादी हिंसा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का सरेंडर होना सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि है।

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इन नक्सलियों में संगठन के शीर्ष नेतृत्व को लेकर गहरी नाराजगी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें जबरन अनजान और बेहद दूरदराज के इलाकों में भेजा जा रहा था, जहां न तो रहने की बुनियादी सुविधाएं थीं और न ही भोजन व इलाज की उचित व्यवस्था। आवाजाही के साधन न होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई थीं। इसके अलावा, लगातार बढ़ते सुरक्षा अभियानों के कारण संगठन के भीतर डर और असंतोष का माहौल बन गया था। इन सभी कारणों से उन्होंने माओवादी संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों को कुल 1.46 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें पुनर्वास, आजीविका, आवास और समाज में दोबारा बसने के लिए जरूरी सहायता भी प्रदान की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकार की यह नीति नक्सलियों को हिंसा छोड़ने और सामान्य जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक कुल 509 माओवादी तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इससे साफ है कि राज्य में माओवादी संगठन की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है और उनके कैडर में टूट बढ़ती जा रही है। उन्होंने माओवादी नेतृत्व के उस दावे को भी सिरे से खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि मार्च 2026 के बाद सुरक्षा बलों के अभियान कमजोर पड़ जाएंगे। डीजीपी ने इसे भ्रामक और मनोबल गिराने वाला प्रचार बताते हुए कहा कि सुरक्षा बल पूरी मजबूती और रणनीति के साथ अभियान चला रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में भी माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और साथ ही जो लोग हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। 41 माओवादियों का एक साथ सरेंडर करना इस बात का संकेत है कि जंगलों में चल रही हिंसा के खिलाफ अब खुद संगठन के भीतर से ही विरोध की आवाज उठने लगी है और शांति की ओर लौटने की प्रक्रिया तेज हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट का शीतकालीन अवकाश घोषित, 22 दिसंबर को होंगे अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा, लेकिन इस दौरान न्यायिक कामकाज पूरी तरह ठप नहीं होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अवकाशकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में तत्काल राहत की आवश्यकता होगी, उन्हें इस दिन सुना जाएगा और मामलों की संख्या के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कितनी पीठें गठित की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश ने यह घोषणा उस समय की, जब कुछ वकीलों ने अदालत के समक्ष मौखिक रूप से आग्रह किया कि उनके मामलों को उसी दिन तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि न्यायालय शीतकालीन अवकाश पर जाने वाला है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि आज किसी भी नए मामले की सुनवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन जो मामले वास्तव में अत्यावश्यक हैं, उन्हें 22 दिसंबर को सुना जाएगा। उन्होंने वकीलों से सवाल किया कि जो लोग सुनवाई की कतार में हैं, क्या वे सोमवार यानी 22 दिसंबर को बहस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "हम सोमवार को सुनवाई के लिए तैयार हैं।" मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि इस सप्ताह बड़ी संख्या में नए मामले दाखिल हुए हैं और न्यायाधीश पहले से ही फाइलों का अध्ययन करने में व्यस्त हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आज नए मामले सूचीबद्ध किए जाते हैं, तो न्यायाधीश उन फाइलों को पढ़ेंगे कैसे। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायाधीश पूरी रात तक संक्षिप्त विवरण और फाइलें पढ़ते रहे हैं, क्योंकि लंबित मामलों का बोझ काफी अधिक है। ऐसे में वे आज किसी भी न्यायाधीश से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह नई फाइलें पढ़कर तुरंत सुनवाई करे। सीजेआई सूर्यकांत ने वकीलों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि 22 दिसंबर को सुनवाई केवल उन्हीं मामलों में होगी, जिनमें वास्तविक तात्कालिकता होगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई तत्काल ज्ञापन भेजा जाएगा, अदालत यह जांच करेगी कि क्या मामला वास्तव में आपात प्रकृति का है। यदि यह पाया जाता है कि मामला अंतरिम जमानत, गिरफ्तारी से संरक्षण, बच्चे की हिरासत या इसी तरह की किसी गंभीर और तात्कालिक राहत से जुड़ा है, तभी उसे 22 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने यह शर्त भी रखी कि जिन मामलों को उस दिन सुना जाएगा, उनमें संबंधित वकीलों को बहस के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा।

मुख्य न्यायाधीश ने दो टूक कहा कि वे न्यायाधीशों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहते, क्योंकि वे पहले ही भारी संख्या में मामलों की फाइलें पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरी रात संक्षिप्त विवरण पढ़ने के बाद अब किसी नए मामले को तुरंत सुनवाई के लिए लेना व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए अदालत ने एक संतुलित रास्ता अपनाते हुए यह फैसला किया है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान भी न्याय मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें देरी से अपूरणीय क्षति हो सकती है। इस घोषणा के साथ यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगा, लेकिन न्याय के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं होंगे। 22 दिसंबर को आयोजित विशेष सत्र के जरिए अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि अत्यावश्यक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप समय पर हो सके।

संपादकीय

आप की खास जीत

आम तौर पर आम आदमी पार्टी को शहरी जनाधार वाली पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन हालिया ग्रामीण निकाय चुनावों में उसकी जीत ने राजनीतिक विश्लेषकों को खूब चौंकाया है। पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के परिणामों ने राजनीतिक वर्चस्व और उभरते मतभेदों की कहानी भी बयां की है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी यानी आप ने ग्रामीण निकाय चुनावों में शानदार सफलता को दर्ज करते हुए राज्यभर में बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं। जिसने इस बात की पुष्टि की है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के शहरों में ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी लोकप्रियता का आधार रखती है। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामीण मतदाताओं में पंजाब की सत्ता में लंबे समय तक भागीदारी निभाने वाले राजनीतिक दलों से मोहभंग का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हालांकि, आप की इस सफलता के साथ कुछ ऐसे पहलू भी जुड़े हैं, जिन पर पार्टी और उसके नेताओं को गहन विचार करने की जरूरत होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का मजबूत प्रदर्शन उसके शासन के मॉडल के लिये निरंतर समर्थन का संकेत दे रहा है। यह एक ऐसा परिणाम है जो साल 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में आप के पक्ष में सकारात्मक परिदृश्य बना सकता है। इसके विपरीत विरोधाभास यह भी है कि कई जगह ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण सामने आए हैं, जहां आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के गढ़ों में लड़खड़ा गई है। आप के कई प्रमुख नेता अपने ही गांवों में जीत हासिल करने में विफल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, आप को इस पर मंथन करने की जरूरत है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने बठिंडा और मुक्तसर जैसे कुछ इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ दर्शायी है। जो पार्टी के लिये हौसला बढ़ाने वाले संकेत कहे जा सकते हैं। दरअसल, शिअद के प्रदर्शन को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी यदि इस बढ़त को आगे भी कायम रख पाती है तो उसके संगठनात्मक पुनरुद्धार के लिये दीर्घकालिक परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन निराशाजनक ही कहा जाएगा। दरअसल, अब भी कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने लिये संघर्ष करती प्रतीत हुई है। ये कांग्रेस के लिये चिंता की ही बात हो सकती है कि वह अपने पारंपरिक गढ़ों तक में अब भी कोई ठोस व दमदार चुनौती पेश करने में असफल ही रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनानी आरंभ की है। हालांकि, उसकी यह बढ़त सिर्फ मामूली ही कही जाएगी। बहरहाल, कह सकते हैं कि चुनाव परिणामों से उपजी तसवीर पंजाब में बदलते राजनीतिक परिदृश्य की ओर ही इशारा करती नजर आती है। वैसे एक हकीकत यह भी है कि किसी भी चुनाव के परिणाम चुनावी परिदृश्य का आंशिक दृष्टिकोण ही परिभाषित करते हैं। मतदाता जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की नीतियों से काफी हद तक संतुष्ट ही दिखे हैं। इसके बावजूद स्थानीय निष्ठाएं और उम्मीदवार विशिष्ट कारक प्रमुखता से सामने आते हैं। इन स्थानीय ग्रामीण इकाइयों के चुनावों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के गृह क्षेत्रों में मिली हार इस बात की भी याद दिलाती है कि किसी दल के लिये राजनीतिक पूंजी बेहद नाजुक ही होती है। यह भी कि ग्रामीण मतदाता स्थानीय नेतृत्व के प्रति उतने ही सजग और संवेदनशील होते हैं, जितना कि राज्य स्तरीय विचारों के प्रति। आगे चलकर, अगर आप को पंजाब में अपने जनादेश को बनाये रखना है और साथ ही उसका विस्तार करना चाहती है, तो उसे जमीनी स्तर पर नेतृत्व को मजबूत प्राथमिकता के आधार पर तैयार करना होगा। साथ ही उसे ग्रामीण मतदाताओं की विभिन्न चिंताओं का समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। अब ये आने वाला समय बताएगा कि आप ने इन चुनाव परिणामों के निहितार्थों का किस सीमा तक चिंतन-मनन किया है। यदि पार्टी इन चुनाव परिणामों से सबक लेकर अपनी रीतियों-नीतियों में बदलाव लाती है तो साल 2027 के विधानसभा चुनावों में उसका जनाधार मजबूत हो सकता है।

दादा की संपत्ति पर पोते के हक का सवाल

> पारिवारिक विवादों में सवाल होता है कि पिता के जीवित रहते दादा की संपत्ति पर पोते का कितना हक है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के इस मामले पर अदालती फैसले स्पष्ट करते हैं कि पैतृक संपत्ति में पोते का जन्मसिद्ध अधिकार है, वह दादा या पिता के जीवित रहते बंटवारा करवा सकता है। जबकि दादा की स्व-अर्जित संपत्ति पर उसका जन्मजात दावा नहीं।

भारतीय परिवारों में संपत्ति विवाद एक गंभीर समस्या है जो रिश्तों की नींव को हिला देती है। जमीन-जायदाद के कागज़ात पारिवारिक सद्भाव को नष्ट कर देते हैं। इन विवादों के केंद्र में जटिल सवाल यह होता है: 'जब पिता जीवित हैं, तो दादा की संपत्ति पर पोते का कितना अधिकार है?' यह प्रश्न केवल एक कानूनी जटिलता नहीं, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे सामाजिक मूल्यों और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की बारीकियों को भी दर्शाता है। भारतीय समाज में परिवार और संपत्ति का संबंध केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक भी होता है। यही कारण है कि जब दादा की संपत्ति के बंटवारे की बात आती है, तो मामला केवल कानूनी धाराओं तक सीमित न रहकर रिश्तों में कड़वाहट की जड़ बन जाता है।

पोते-पोतियों के मन में यह सामान्य सवाल होता है : 'क्या पिता के जीवित रहते हम दादा की संपत्ति पर सीधा दावा कर सकते हैं?' इस प्रश्न का उत्तर 'हां' या 'ना' में देना सरल नहीं। इसका जवाब पूरी तरह संपत्ति के प्रकार पर निर्भर करता है - यानी वह 'स्व-अर्जित' है या 'पैतृक'। इस अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों के जरिये समय-समय पर स्पष्ट किया है, जिससे कानूनी स्थिति साफ हो। कानूनन संपत्ति मुख्यतया दो प्रकार की होती है, और यह अंतर समझना ही सारे विवाद समाप्त कर सकता है।

स्व-अर्जित संपत्ति वह है जिसे दादा ने अपनी मेहनत, वेतन, या व्यावसायिक आय से स्वयं खरीदा या अर्जित किया है। इस संपत्ति पर दादा का पूर्ण स्वामित्व होता है। उनके जीवनकाल में, उनका बेटा या पोता भी सीधे तौर पर दावा नहीं कर सकता, और दादा के पास अधिकार है कि वे जिसके नाम चाहें,

उस संपत्ति की वसीयत करे। यहां अहम कानूनी बिंदु यह कि यदि पिता (अर्थात दादा के बेटे) जीवित हैं, तो पोता दादा की स्व-अर्जित संपत्ति में सीधे हिस्सेदार नहीं बन सकता। पोता केवल तभी दावा कर सकता है जब उसके पिता की मृत्यु दादा से पहले हो चुकी हो। इस स्थिति में, पोता अपने मृत पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए हिस्सा पाता है। यह नियम स्पष्ट है: स्व-अर्जित संपत्ति पर पोते को धैर्य रखना पड़ता है। इसके विपरीत, पैतृक संपत्ति वह होती है जो कम से कम चार पीढ़ियों से निरंतर पुरुष वंशजों के माध्यम से हस्तांतरित होती आयी है। इस संपत्ति के संबंध में पोते की कानूनी स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। पैतृक संपत्ति में पोता जन्म लेते ही 'सह-स्वामी' बन जाता है। उसका हक दादा या पिता की मृत्यु का इंतजार नहीं करता; वह बतौर जन्मसिद्ध अधिकार कभी भी बंटवारे की मांग कर सकता है। यह उसे स्व-अर्जित संपत्ति से मौलिक रूप से अलग करता है।

Advertisement

कानूनी स्थिति को सबसे निर्णायक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में 'विनीत शर्मा बनाम राकेश शर्मा' नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया था। यह लैंडमार्क केस पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति के बीच अंतर को कानूनी रूप से मजबूत करता है, जो अक्सर पारिवारिक विवादों का कारण बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराधिकार के नियमों पर यह साफ किया कि यदि दादा अपनी स्व-अर्जित संपत्ति (जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई थी) को वसीयत के जरिये अपने बेटे या पोते को सौंपते हैं, तो संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए वह 'पैतृक संपत्ति' नहीं, बल्कि उसकी 'व्यक्तिगत संपत्ति' बन जाती है।

उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि जब तक पिता जीवित हैं, तब तक पोता अपने दादा की स्व-अर्जित संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता है। यह फैसला इस मौलिक सिद्धांत की पुष्टि करता है कि स्व-अर्जित संपत्ति पर पोते का सीधा अधिकार उनके पिता के माध्यम से ही आता है, और वह तभी प्रभावी होता है जब पिता जीवित न हों या जब संपत्ति पैतृक श्रेणी में हो। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में सी. शिवकुमार बनाम शिवन्ना मामले में इस सिद्धांत को फिर दोहराया कि स्व-अर्जित संपत्ति के मालिक (इस मामले में दादा) को उस संपत्ति पर पूर्ण व निर्विवाद अधिकार होता है। इस फैसले ने इस बात पर मुहर लगा दी कि मालिक अपनी स्व-अर्जित संपत्ति का उपयोग, उपभोग या हस्तांतरण अपनी इच्छानुसार कर सकता है, और वारिसों का उस पर जन्मसिद्ध अधिकार लागू नहीं होता।

उत्तम बनाम सौभाग सिंह (2016) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के बाद, यदि किसी व्यक्ति (जैसे दादा) को अपने पिता से कोई संपत्ति विरासत में मिलती है, तो वह स्व-अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, न कि स्वचालित रूप से पैतृक संपत्ति। इस फैसले ने पुरानी कानूनी धारणाओं को बदलते हुए यह स्थापित किया कि संपत्ति को 'पैतृक' साबित करने के लिए यह दिखाना अनिवार्य है कि वह चार पीढ़ियों से अविभाजित रूप से चली आ रही है। यदि दादा ने संपत्ति को कानूनी बंटवारे के बाद अपने हिस्से में लिया है, तो वह उनकी स्व-अर्जित संपत्ति है। ऐसे में, पोते का उस पर जन्मसिद्ध हक नहीं। यह फैसला पारिवारिक मुखिया के अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है, जबकि पोते के अधिकार सिर्फ अविभाजित पैतृक संपत्ति तक सीमित हैं।

उपरोक्त निर्णायक फैसलों से यह अंतिम कानूनी सत्य सामने आता है कि स्व-अर्जित संपत्ति पर दादा का अधिकार सर्वोपरि है, और पोते का जन्मसिद्ध दावा केवल वास्तविक, अविभाजित पैतृक संपत्ति तक ही सीमित है। जायदाद के मामलों को अदालतों के गलियारों में घसीटने से बेहतर है कि पारिवारिक मुखिया पारदर्शिता अपनाए और विवाद की गुंजाइश खत्म करने के लिए स्पष्ट वसीयत तैयार करे।

प्रेरणा

जब कलम ने समझौते से इंकार किया: मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की एक उज्ज्वल परंपरा

पत्रकारिता का असली स्वरूप तब सामने आता है, जब वह सत्ता की सुविधा नहीं, बल्कि समाज की सच्चाई का साथ देती है। इतिहास में कुछ ऐसे विरले व्यक्तित्व हुए हैं, जिनके लिए पत्रकारिता आजीविका या प्रतिष्ठा का साधन नहीं, बल्कि साधना थी। पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी का जीवन इसी साधना का उदाहरण है, जहाँ कलम ने बार-बार यह सिद्ध किया कि सिद्धांतों के आगे किसी भी प्रकार का दबाव स्वीकार्य नहीं होता।

एक समय की बात है, जब रियासतों का प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा हुआ करता था। ऐसे वातावरण में किसी पत्रिका का संपादन करना अपने आप में एक चुनौती थी। सन 1930 में ओरछा नरेश वीरसिंह जू देव के आग्रह पर पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी टीकमगढ़ पहुँचे और 'मधुकर' पत्र का संपादन संभाला। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि पत्र की संपादकीय स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। चतुर्वेदी जी ने इस भरोसे पर कार्य आरंभ किया और 'मधुकर' को धीरे-धीरे साहित्य, समाज और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का प्रयास किया।

लेकिन समय के साथ उन्हें यह अनुभव होने लगा कि सत्ता की अपेक्षाएँ बदल रही हैं। पत्र से यह चाहा जाने लगा कि वह जनता के प्रश्न उठाने के बजाय दरबार की प्रशंसा का माध्यम बने। एक अवसर पर उनसे यह अपेक्षा की गई कि किसी राजकीय कार्य का विस्तृत विवरण पत्रिका में इस प्रकार प्रकाशित किया जाए, जिससे वह उपलब्धि से अधिक महिमा-मंडन प्रतीत हो। यह वही क्षण था, जहाँ चतुर्वेदी जी के भीतर का पत्रकार जाग उठा। उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि पत्रकारिता का उद्देश्य प्रचार नहीं, विवेक है। यदि पत्रिका को दरबारी स्वर देना है, तो वे उस कुर्सी पर बैठना उचित नहीं समझते।

उनका यह निर्णय केवल नौकरी छोड़ने का नहीं था, बल्कि उस दौर की पत्रकारिता के लिए एक नैतिक वक्तव्य था। उन्होंने सत्ता के संरक्षण को त्यागकर आत्मसम्मान को चुना। यह घटना यह बताती है कि प्रतिबद्ध पत्रकारिता केवल लिखने से नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर त्याग करने से भी पहचानी जाती है।

पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व लेखन तक सीमित नहीं था। वे संवाद के असाधारण साधक थे। उनका पत्र-व्यवहार अपने आप में एक जीवित इतिहास है। वे प्रतिदिन असंख्य पत्र लिखते थे—लेखकों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, समाजसेवियों को और युवाओं को। इन पत्रों में आदेश नहीं, आत्मीयता होती थी; आलोचना होती थी, लेकिन कटुता नहीं। आज भी उनके लिखे पत्र विभिन्न पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में सुरक्षित हैं और उस समय की बौद्धिक चेतना को समझने का माध्यम बने हुए हैं।

स्वतंत्रता के बाद उनका दायित्व और बढ़ गया। वे बारह वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। संसद में रहते हुए भी उन्होंने सत्ता के अनुरूप बोलने की आदत नहीं डाली। वे प्रश्न पूछते थे, तर्क रखते थे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते थे। उनकी वाणी में संतुलन और विचारों में गहराई होती थी। वे किसी दल के प्रतिनिधि से अधिक राष्ट्र के विवेक के प्रतिनिधि दिखाई देते थे।

'विशाल भारत' हिन्दी मासिक के संपादक के रूप में उन्होंने पत्रकारिता को वैचारिक ऊँचाई दी। साक्षात्कार विधा को उन्होंने केवल समाचार का रूप नहीं रहने दिया, बल्कि उसे विचारों के संवाद में बदल दिया। उनके साक्षात्कार पढ़ते हुए लगता है कि प्रश्न पूछने वाला केवल उत्तर जानना नहीं चाहता, बल्कि सामने वाले के चिंतन को समाज के सामने रखना चाहता है। यही कारण है कि उनके द्वारा लिए गए साक्षात्कार आज भी संदर्भ के रूप में पढ़े जाते हैं।

सन 1973 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान वह नैतिक पूँजी थी, जो उन्होंने वर्षों की साधना से अर्जित की थी। उनका जीवन यह सिखाता है कि पत्रकारिता की सच्ची ताकत सत्ता की निकटता में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के साहस में होती है।

आज के समय में, जब खबर और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है, तब पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी जैसे व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब कलम अपने मूल्यों के साथ खड़ी रहती है, तभी वह समाज को दिशा देती है। यही प्रतिबद्धता की पत्रकारिता है, जो समय से आगे चलकर भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती है।

नेहरू की उदासीनता, लोहिया का प्रयास, 'शांतिप्रिय' भारत के हमले से घबराए पुर्तगाली, आजादी के 14 साल बाद गोवा के लिए जब चलाया गया ऑपरेशन विजय

गंगा की आरती, घाटों की सीढ़ियाँ, धूप में चमकता जल, शंख-घंटों की ध्वनि बनारस की सुबह का मिजाज कुछ ऐसा ही हुआ करता है। वहीं नज़ाकत, नफ़ासत, ठहराव—इत्र की खुशबू, शायरी, तमीज़दार बातचीत और लखनवी अंदाज़ अवध की शाम को रंगीन बनाता है। इसलिए तो कहा भी जाता है कि जीवन में अगर बनारस की सुबह जैसी शुद्धता और अवध की शाम जैसी नमी आ जाए, तो दिन पूरा हो जाता है। बनारस की सुबह और अवध की शाम की चर्चा आपने सुनी है तो मद से भरे गोवा की नाइट लाइफ और ताजगी से भरे सूर्योदय का भी एहसास आपको करना चाहिए। गोवा के इसी मिजाज को समझते हुए घूमने-फिरने के शौकीनों ने अंग्रेजी में एक बात कही When life hits you with boredom, Escape to Goa! ढलती हुई शाम...सामने अथाह समंदर... इस समंदर में धीरे-धीरे डूबता सूरज और समुद्र के किनारे सूर्य की किरणों से सुनहरे हुए रेत के विशाल मैदान पर पसरे हुए आप। लगता है मानो शाम ठहर जाए। सपनों के इस सिलसिले पर ब्रेक न लग जाए। गोवा देश ही नहीं विश्व भर के पर्यटकों का प्रिय है। हर वर्ष लाखों लोग यहां पर छुट्टियां मनाने आते हैं लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गोवा जाने के लिए भारतीयों को भी वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती थी 15 अगस्त 1947 को जब पूरे भारत पर तिरंगा ध्वज लहरा रहा था तब उस उत्सव में गोवा सम्मिलित नहीं था। गोवा पर अब भी पुर्तगाल का औपनिवेशिक शासन बना हुआ था। फ्रांस के अधिकार वाले पांडिचेरी कराई कल और चंद्रनगर भी समय के साथ स्वतंत्र होते गए। लेकिन गोवा अब भी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत के इस छोटे से भूभाग के लोगों के लिए स्वतंत्रता अब भी लगभग डेढ़ दशक दूर है। गोवा के साथ साथ दादर नगर हवेली दमन और दीव क्षेत्र भी पुर्तगाल के अधिकार में थे। आश्चर्य यह कि भारत की तत्कालीन सरकार इनकी मुक्ति का कोई गंभीर प्रयास करती नहीं दिख रही थी यह व्यवहार एक ऐसे क्षेत्र के साथ जो चार शताब्दी से अधिक समय तक कैथोलिक चर्च के बर्बर अत्याचारों का शिकार बन चुका था धर्म ग्रंथों के अनुसार गोवा भगवान परशुराम की धरती है वहां पर इसे गोमांतक कहा गया है गोवा में कभी इसके ढेरों प्राचीन चिन्ह भी हुआ करते थे लेकिन अधिकांश पुर्तगाली शासन के दौरान मिटा दिए गए वीर सावरकर ने अपने खंड काव्य गोमांतक में पुर्तगाली अत्याचारों का वर्णन किया है महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र अर्थात पालकों के देश के नाम से है 14वीं शताब्दी में यहां पर पहली बार इस्लामी आक्रमणकारियों के पैर पड़े थे लेकिन तब विजयनगर के राजा हरि हर प्रथम ने उन्हें खदेड़ दिया था लेकिन 100 वर्ष बाद फिर से दिल्ली की इस्लामी सल्तनत ने गोवा को अपने चंगुल में ले लिया।

महाभारत में गोवा का उल्लेख गोपराष्ट्र यानि गोपालकों के देश के रूप में मिलता है। गोवा के लंबे इतिहास की शुरुआत तीसरी सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई थी। बाद में पहली सदी के शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज किया। इसके बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वार वहाँ से खदेड़ दिया गया। 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। वर्ष 1510 में गोवा में पुर्तगालियों के कदम पड़े धीरे-धीरे उन्होंने पूरे क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लिया पुर्तगालियों का सबसे बड़ा उद्देश्य गोवा के सांस्कृतिक चरित्र को बदलना और हिंदु को ईसाई बनाना था इसी के लिए वर्ष 1560 में गोवा इनक्विजिशन की शुरुआत की गई। इनक्विजिशन चर्च द्वारा बनाई एक तरह की न्यायिक संस्था थी जिसका काम हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए विवश करना था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में गोवा में एक रैली के दौरान कहा था कि अगर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते तो 1947 में ही कुछ ही घंटों के भीतर गोवा आज़ाद हो जाता। लेकिन कांग्रेस ने 14 वर्षों तक गोवा की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया। राम मनोहर लोहिया (डॉ. लोहिया) गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने 1946 में गोवा में सत्याग्रह शुरू कर पुर्तगाली शासन के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का उन्हें स्पष्ट समर्थन मिला, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने साथ नहीं दिया। यह अंतर दोनों नेताओं की विचारधारा, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निहित है। लोहिया ने गोवा को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए तत्काल मुक्ति की मांग की, लेकिन नेहरू की कूटनीतिक और शांतिवादी नीति ने उन्हें सैन्य या प्रत्यक्ष समर्थन से रोका। गांधीजी ने लोहिया के गोवा सत्याग्रह को पूर्ण समर्थन दिया क्योंकि यह उनकी अहिंसा और सिविल डिसओबिडिएंस की विचारधारा से मेल खाता था। 1946 में लोहिया ने गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया, जहां वे नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। गिरफ्तार होने

कूटनीति, शांतिवाद और अंतरराष्ट्रीय छवि

नेहरू ने लोहिया के सत्याग्रह को समर्थन नहीं दिया क्योंकि उनकी प्राथमिकता अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान थी। नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता और विश्व शांति पर आधारित थी, और वे भारत को एक शांतिवादी राष्ट्र के रूप में पेश करना चाहते थे। गोवा पुर्तगाली उपनिवेश था, और नेहरू को डर था कि सत्याग्रह या सैन्य हस्तक्षेप से भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होगी। 1946 में लोहिया के सत्याग्रह के समय नेहरू ने कहा कि गोवा समस्या महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत को पहले अपनी स्वतंत्रता पर फोकस करना चाहिए।

अभियान

माँ दुर्गा के 108 नामों की साधना: श्रद्धा से शुरू होकर कृपा तक पहुँचने की दिव्य यात्रा

सनातन परंपरा में माँ दुर्गा को केवल एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की हर कठिन घड़ी में साथ देने वाली चेतना के रूप में देखा गया है। जब मनुष्य थक जाता है, जब प्रयास करने के बाद भी रास्ता नहीं मिलता, जब भीतर भय, असमंजस और टूटन भर जाती है, तब माँ दुर्गा का स्मरण एक आंतरिक शक्ति बनकर उभरता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ दुर्गा का एक नाम भी श्रद्धा से लिया जाए, तो वह साधक के भीतर छिपी शक्ति को जगा देता है। और जब वही साधक माँ को उनके 108 नामों से पुकारता है, तब यह साधना केवल जप नहीं रह जाती, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने वाली यात्रा बन जाती है।

एक प्राचीन कथा कही जाती है कि एक राजा था, जिसके जीवन में सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। राज्य, वैभव, परिवार सब होने के बावजूद उसका अंतर्मन भय और असंतोष से भरा रहता था। उसने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, लेकिन शांति नहीं मिली। अंततः वह एक ऋषि के पास पहुँचा। ऋषि ने उससे कहा कि तुमने बाहर बहुत कुछ

खोज लिया, अब भीतर माँ शक्ति को पुकारो। उन्होंने राजा को श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का उपदेश दिया और कहा कि इन 108 नामों का जप केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने के लिए करो। राजा ने निष्ठा से यह साधना आरंभ की और समय के साथ उसका भय मिटने लगा, निर्णय स्पष्ट होने लगे और मन में स्थिरता आ गई। उसे समझ में आया कि माँ की कृपा बाहरी घटनाओं को बदलने से पहले भीतर के अंधकार को दूर करती है।

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं माँ दुर्गा की स्तुति इन 108 नामों के माध्यम से की है। प्रत्येक नाम माँ के एक विशेष गुण, एक विशेष शक्ति और एक विशेष कार्य को दर्शाता है। कहीं माँ रक्षक हैं, कहीं संहारिणी हैं, कहीं पालन करने वाली हैं और कहीं ज्ञान देने वाली। जब साधक इन नामों का जप करता है, तो वह अनजाने ही जीवन के हर स्तर पर माँ को आमंत्रित करता है। कहा जाता है कि इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से ही जीव का अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। इसका कारण यह है कि ये नाम केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि चेतना के बीज हैं। जब "दुर्गा" कहा जाता है, तो वह शक्ति जागती है जो दुर्गम परिस्थितियों से पार ले जाती है। जब "चण्डिका" का स्मरण होता है, तो भीतर छिपा साहस जागता है। जब "अम्बिका" कहा जाता है, तो करुणा और मातृत्व का भाव मन को शीतल करता है। इसी तरह 108 नाम मिलकर जीवन के हर पक्ष को स्पर्श करते हैं।

जप की विधि भी उतनी ही सरल है, जितनी गहन। प्रातःकाल या संध्या के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। एक शांत स्थान पर बैठकर मन को स्थिर किया जाता है। दीपक जलाकर माँ दुर्गा का ध्यान किया जाता है। मन में यह भाव रखा जाता है कि माँ साक्षात सामने विराजमान हैं और उनकी दृष्टि करुणा से भरी है। इसके बाद संकल्प लिया जाता है कि यह जप अहंकार, भय और अज्ञान को त्यागने के लिए किया जा रहा है। फिर श्रद्धा के साथ एक-एक नाम का उच्चारण किया जाता है। यदि पूरे 108 नाम एक साथ न भी हो सकें, तो भी नियमित रूप से जप किया जाए, तो उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है।

नवरात्रि में इस स्तोत्र का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन माँ की कृपा किसी तिथि या पर्व की बंधक नहीं होती। जो साधक नियमित रूप से इसका जप करता है, उसके जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि समस्याएँ अचानक समाप्त नहीं होतीं, लेकिन उन्हें सुलझाने की शक्ति भीतर आ जाती है। भय पहले जैसा डरावना नहीं लगता, निर्णय लेने में स्पष्टता आने लगती है और मन में यह विश्वास जागता है कि माँ साथ हैं।

शास्त्र यह भी कहते हैं कि माँ दुर्गा के 108 नामों से उन्हें संबोधित करने पर वे भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। लेकिन यहाँ मनोकामना का अर्थ केवल धन, पद या भौतिक इच्छाएँ नहीं है। माँ पहले साधक को भीतर से तैयार करती हैं। कई बार जो हम चाहते हैं, वह हमें हानि पहुँचा सकता है, इसलिए माँ वह देती हैं, जो हमारे लिए उचित होता है। यही माँ की सबसे बड़ी कृपा है। इस स्तोत्र की साधना का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह साधक को विनम्र बनाती है। जैसे-जैसे जप बढ़ता है, वैसे-वैसे अहंकार घटने लगता है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह अकेला नहीं है, एक दिव्य शक्ति हर क्षण उसके साथ चल रही है। यही अनुभूति जीवन में सच्ची शांति लाती है।

माँ दुर्गा के 108 नामों का जप वस्तुतः माँ के साथ संवाद है। यह संवाद कभी शब्दों से होता है, कभी मौन से और कभी आँसुओं से। जब साधक पूरी श्रद्धा से माँ को पुकारता है, तब माँ भी उसे पहचान लेती हैं। और जिस दिन यह पहचान हो जाती है, उस दिन साधक समझ जाता है कि असली चमत्कार इच्छाओं के पूरे होने में नहीं, बल्कि भीतर के भय के मिट जाने में है। यही श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र की वास्तविक शक्ति है, यही इसकी साधना का सार है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री का नई दिल्ली में क्रेडाई के नेशनल कॉन्क्लेव में प्रेरक संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत के विजन को साकार करने में रियल एस्टेट क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

कन्स्ट्रक्शन में 'मेड इन इंडिया' का सुर और इमारतों में भारत की विरासत तथा संस्कार झलकाएँ : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात वेल-प्लांड अर्बन डेवलपमेंट सहित विकास का रोल मॉडल बना है
- गुजरात सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स तथा समयबद्ध परमिशन जैसी व्यवस्थाओं के कारण बड़े डेवलपर्स के लिए निवेश केन्द्र बना है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के नेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत के विजन को साकार करने में रियल एस्टेट क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन दिया है, उसे पूर्ण करने में रियल एस्टेट क्षेत्र का योगदान बड़ा रहेगा।

भारत रत्न तथा पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के एक सप्ताह पूर्व आयोजित इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयीजी ने सुशासन और 21वीं शताब्दी के भारत की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस नींव को गतिपूर्वक आगे बढ़ाकर विकास का मजबूत आधार तैयार किया है।

देश की सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में भारत में 'हाउसिंग फॉर ऑल' के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी पक्का मकान मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए क्रेडाई तथा रियल एस्टेट क्षेत्र के अग्रणियों से केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया।

रियल एस्टेट डेवलपर्स की विशेष भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट केवल जमीनें, इमारतें या दीवारें नहीं हैं, बल्कि यह वह स्थल है, जहाँ परिवार के सपने समाए होते हैं, व्यापार-धंधे सफलता प्राप्त करते हैं और लोग साथ मिलकर अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं।

उन्होंने डेवलपर्स से अपील करते हुए कहा कि हम ऐसे मकान बनाएँ, जिसमें भारतीयता की महक हो। विदेशी टेक्नोलॉजी से भले ही प्रेरणा लें, परंतु डिजाइन भारतीय रखें। कन्स्ट्रक्शन में 'मेड इन इंडिया' का सुर हो और इमारतों में भारत की विरासत तथा संस्कार झलकते हों; ऐसे निर्माण करें।

उन्होंने सस्टेनेबिलिटी तथा इनोवेशन पर बल देते हुए कहा कि पर्यावरणानुकूल घर, कार्यालय और सरकारी इमारतें बनाना जरूरी हैं। इसके लिए नए अनुसंधान एवं नवीनता को प्रोत्साहन देना होगा। उन्होंने बढ़ते शहरीकरण के चलते संसाधनों का संचालन करने के लिए दूरदर्शी आयोजन की आवश्यकता समझाई।

गुजरात के विकास का उल्लेख करते हुए श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात वेल-प्लांड अर्बन डेवलपमेंट सहित विकास का रोल मॉडल बना है। इतना ही नहीं; गुजरात देश का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है।

उन्होंने कहा कि गुजरात में सिंगल विंडो क्लियरेस, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स तथा समयबद्ध परमिशन जैसी व्यवस्थाओं के कारण डेवलपर्स निवेश करने के लिए आकर्षित हुए हैं। ग्रीन बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, वॉटर कन्जर्वेशन तथा वेस्ट मैनेजमेंट को प्रोत्साहन देने के कारण गुजरात रियल एस्टेट के लिए श्रेष्ठ स्थान बना है।

गिफ्ट सिटी तथा धोलेरा स्मार्ट सिटी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के चलते ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स विकसित हुए हैं। धोलेरा 920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित हो रहा है, जहाँ सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे उद्योग आ रहे हैं। अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे तथा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कार्य पूर्णता के चरणों में हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन से गिफ्ट सिटी में प्लग एंड प्ले सहित ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है कि बिजनेस प्लेयर को यहाँ आने से पहले ही उत्तम सुविधाएँ तैयार मिल जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत आत्मनिर्भर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग का प्रतीक बनना चाहिए। इसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी तथा सस्टेनेबिलिटी का संगम भी होना चाहिए। उन्होंने रियल एस्टेट से जुड़े सभी से लिवेबल व लवेबल, सस्टेनेबल और फ्यूचर-रेडी शहर बनाने का अनुरोध किया।

इस नेशनल कॉन्क्लेव में क्रेडाई के चेयरमैन श्री बोमन ईरानी, प्रेसीडेंट श्री शेखर पटेल, प्रेसीडेंट इलेक्टेड श्री जी. राम रेड्डी और देश के विभिन्न राज्यों के क्रेडाई प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 20/21 दिसंबर, 2025 की रात्रि से प्रारंभ होकर 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्य में कांदिवली एवं बोरीवली स्टेशनों पर ट्रैक स्लीविंग तथा कई क्रॉसओवरों का इन्सर्शन एवं रिमूवल शामिल है। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग, सिगनलिंग तथा ओवरहेड इक्विपमेंट से जुड़े प्रमुख कार्य किए जाएंगे, जिससे रेल परिचालन प्रभावित होगा। परिणामस्वरूप कुछ उपनगरीय, पैसेंजर एवं मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित होंगी।

श्री विनीत ने आगे बताया कि इस अवधि के दौरान पाँचवीं लाइन पर यात्री ट्रेनों का परिचालन निलंबित रहेगा तथा अन्य

लाइनों पर गति प्रतिबंध लागू रहेंगे। पाँचवीं लाइन पर चलने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस एवं उपनगरीय ट्रेनें अंधेरी/गोरेगांव और बोरीवली के बीच फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। यह ब्लॉक 20/21 दिसंबर, 2025 से 25/26 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान प्रतिदिन 23:00 बजे से 04:30 बजे तक लिया जाएगा।

ब्लॉक एवं पाँचवीं लाइन के निलंबन के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी, जिनका विवरण सभी उपनगरीय स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगा।

ब्लॉक के कारण प्रभावित ट्रेनों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है:

परिशिष्ट–I: 20/21 दिसंबर, 2025 को तथा 21 से 25 दिसंबर, 2025 तक निरस्त ट्रेनें

परिशिष्ट–II: 26 दिसंबर, 2025 को निरस्त ट्रेनें

नोट: उपनगरीय लोकल ट्रेनों पर पड़ने वाले प्रभाव की सूचना यथासमय दी जाएगी। 31 दिसंबर, 2025 के लिए नववर्ष समारोह को ध्यान में रखते हुए असामान्य निरस्तीकरण न हों, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

आणंद जिले के तारापुर के रिंझा में 110 करोड़ रुपए की लागत से साबरमती नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का तारापुर तहसील के चार गांवों के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी निवारण लाने वाला लोक हितकारी दृष्टिकोण

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आणंद जिले की तारापुर तहसील के रिंझा गांव में साबरमती नदी पर नए पुल के 110 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण को मंजूरी दी है। तारापुर तहसील के रिंझा, नभोई, पचेगाम और दुगारी गांवों के लोगों ने साबरमती नदी का बहाव बदल जाने के कारण बरसात के मौसम में नदी के उस पार पर नहीं जा पाने तथा संपर्क से वंचित हो जाने की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुति की थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस प्रस्तुति पर संवेदनापूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए टू-लेन पुल ब्रिज सहित पथ रेखा पर 4 किलोमीटर का नया मार्ग बनाने हेतु भूमि अधिग्रहण,

निर्माण से पूर्व हाइड्रोलिक सर्वेक्षण, सॉइल इन्वेस्टिगेशन एवं आलेखन जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियों सहित संभावित खर्च के लिए कुल मिलाकर 110 करोड़ रुपए आवंटित करने की अनुमति दी है। इस पुल का निर्माण पूर्ण होने से बरसात के दौरान नदी का बहाव बदल जाने से संपर्क विहीन हो जाने वाले इन गांवों की वर्षों पुरानी समस्या का निवारण हो जाएगा तथा परिवहन, कृषि-उद्योग और ईज ऑफ लिविंग के लिए यह पुल आशीर्वाद समान बनेगा।

पार्थ जिंदल बने सीमेंट निर्माता संघ के नए अध्यक्ष, डॉ. राघवपत सिंघानिया को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

(जीएनएस)। मुंबई। भारत के सीमेंट उद्योग के शीर्ष संगठन सीमेंट निर्माता संघ (सीएमए) को नया नेतृत्व मिल गया है। 18 दिसंबर 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल को सर्वसम्मति से सीएमए का नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं, जेके सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. राघवपत सिंघानिया को संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों नियुक्तियों को सीएमए के सभी सदस्यों का व्यापक समर्थन मिला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उद्योग को उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पार्थ जिंदल ने श्री सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीरज अखौरी का स्थान लिया है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में संघ को स्थिरता और मजबूती प्रदान की थी।

सीमेंट निर्माता संघ के लगभग 60 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर युवा पीढ़ी के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्थ जिंदल सीएमए के अब तक के सबसे कम उम्र के निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। इस बदलाव को उद्योग में पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे सीमेंट उद्योग को नई ऊर्जा, आधुनिक सोच और तेजी से बदलते वैश्विक व घरेलू परिदृश्य के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। उद्योग जगत को उम्मीद है कि यह युवा नेतृत्व नवाचार और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए सीमेंट सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करेगा। अध्यक्ष पद संभालने के बाद पार्थ जिंदल से अपेक्षा की जा रही है कि वे नीति निर्माताओं, नियामकों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ सीएमए की भूमिका को और प्रभावी बनाएंगे। विशेष रूप से सतत विनिर्माण, डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा संक्रमण और लॉजिस्टिक्स के अनुकूलन जैसे अहम मुद्दों पर उनका फोकस रहने की संभावना है। भारत का सीमेंट उद्योग कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जिंदल का नेतृत्व इस परिवर्तन को और गति दे सकता है।

सोना वायदा में 877 रुपये की गिरावट: चांदी वायदा में 1362 रुपये की तेजी: क्रूड ऑयल वायदा 77 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 26582.2 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 117983.26 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 21428.21 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 33011 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 144599.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 26582.2 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 117983.26 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 33011 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1720.01 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 21428.21 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 134021 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 134360 रुपये और नीचे में 133582 रुपये पर पहुंचकर, 134521 रुपये के पिछले बंद के सामने 877 रुपये या 0.65 फीसदी औंधकर 133644 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 645 रुपये या 0.6 फीसदी की गिरावट के साथ 106960 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 47 रुपये या 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 13395 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132252 रुपये के भाव पर खूलकर, 132575 रुपये के दिन के उच्च और 131912 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 729 रुपये या 0.55 फीसदी की गिरावट के साथ 131955 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 132625 रुपये के भाव पर खूलकर, 132875 रुपये के दिन के उच्च और 132258 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132955 रुपये के पिछले बंद के सामने 656 रुपये या 0.49 फीसदी की गिरावट के साथ 132299 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 202899 रुपये के भाव पर खूलकर, 206280 रुपये के दिन के उच्च और 202656 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 203565 रुपये के पिछले बंद के सामने 1362 रुपये या 0.67 फीसदी की मजबूती के साथ 204927 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1375 रुपये या 0.67 फीसदी बढ़कर 205639 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1371 रुपये या 0.67 फीसदी की बढ़त के साथ 205640 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 2153.99 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 2.05 रुपये या 0.18 फीसदी बढ़कर 1113.75 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 1.6 रुपये या 0.53 फीसदी लुढ़ककर 300.85 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 15 पैसे या 0.05 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 282.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 15 पैसे या 0.08 फीसदी की नरमी के साथ 181.25 रुपये प्रति

किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2995.37 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5067 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5090 रुपये और नीचे में 5030 रुपये पर पहुंचकर, 77 रुपये या 1.51 फीसदी घटकर 5037 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 74 रुपये या 1.45 फीसदी लुढ़ककर 5042 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 354.2 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 355.2 रुपये और नीचे में 345.9 रुपये पर पहुंचकर, 356.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 5.9 रुपये या 1.66 फीसदी गिरकर 350.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 6.1 रुपये या 1.71 फीसदी घटकर 350.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 948 रुपये पर खूलकर, 6.9 रुपये या 0.73 फीसदी गिरकर 938 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11463.11 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 9965.10 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1583.78 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 209.19 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 29.93 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 331.09 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 490.28 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2492.39 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 17224 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 80246 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 23444 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 360490 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 38828 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 18228 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 42083 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 112305 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 24281 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 40957 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 32969 पॉइंट पर खूलकर, 33160 के उच्च और 32969 के नीचले स्तर को छूकर, 54 पॉइंट घटकर 33011 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 35.4 रुपये की गिरावट के साथ 148.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.5 रुपये की गिरावट के साथ 11.25 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 139000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 149 रुपये की गिरावट के साथ 456 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 205000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 425.5 रुपये की बढ़त के साथ 4602.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 68 पैसे की नरमी के साथ 8.3 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 48 पैसे की नरमी के साथ 1.3 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 41.9 रुपये की बढ़त के साथ 218.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.85 रुपये की बढ़त के साथ 9.5 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 41 रुपये की बढ़त के साथ 490 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 190000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 258 रुपये की गिरावट के साथ 546.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.7 रुपये की गिरावट के साथ 4.99 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 72 पैसे के सुधार के साथ 2 रुपये हुआ।

पश्चिम रेलवे चलाएगी दो जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई सेंट्रल – नई दिल्ली एवं बांद्रा टर्मिनस – अमृतसर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर दो सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 04001/04002 मुंबई सेंट्रल – नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल [08 फेरे]

ट्रेन संख्या 04001 मुंबई सेंट्रल – नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल मुंबई सेंट्रल से 23:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 20:50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन 21, 24, 27 एवं 30 दिसंबर, 2025 को चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04002 नई दिल्ली – मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल नई दिल्ली से 22:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 21:00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 20, 23, 26 एवं 29 दिसंबर, 2025

को चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं मथुरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 04695/04696 बांद्रा टर्मिनस – अमृतसर सुपरफास्ट स्पेशल [04 फेरे]

ट्रेन संख्या 04695 बांद्रा टर्मिनस – अमृतसर सुपरफास्ट स्पेशल बांद्रा टर्मिनस से 14:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 20:30 बजे अमृतसर पहुंचेगी। यह ट्रेन 24 एवं 28 दिसंबर, 2025 को चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04696 अमृतसर – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल अमृतसर से 04:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 23 एवं 27 दिसंबर, 2025 को चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मथुरा, दिल्ली सफदरजंग, पानीपत, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर सिटी एवं ब्यास स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04001एवं 04695 की बुकिंग 20 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मनरेगा में बदलाव पर सियासी संग्राम, डीएमके ने किया प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बदलकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के खिलाफ तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) खुलकर सड़क पर उतरने जा रही है। डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने मनरेगा के स्थान पर लागू किए गए 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' के विरोध में 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। इस फैसले के साथ ही केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की राजनीति तेज हो गई है।

डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन का आरोप है कि नया कानून मनरेगा जैसी ऐतिहासिक और गरीब-हितैषी योजना को व्यावहारिक रूप से खत्म कर देता है। गठबंधन का कहना है कि मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों, खेत मजदूरों और कमजोर वर्गों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की थी, जबकि नया विधेयक इस गारंटी को कमजोर करता है और रोजगार को सरकार की अनिश्चित योजनाओं पर निर्भर बना देता है।

विज्ञापन संख्या ECIL 01/2025

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद हेतु
आवेदन आमंत्रित करता है।
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 20.01.2026
17:00 बजे तक है।
विवरण के लिए वेबसाइट https://www.dae.gov.in पर देखें।

CDC 48/38/12/0007/2526

पश्चिम रेलवे-अहमदाबाद मण्डल

सिग्नलिंग सामग्री की आंशिक आपूर्ति, लेवल क्रॉसिंग की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

निविदा आमंत्रण सूचना सं. - DRM-SnT-ADI-Sig 21 of 2025-26; भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए कार्यरत DRM/S एंड T **निविदा संख्या DRM-SnT-ADI-Sig 21 of 2025-26** के सामने ई-निविदाएँ आमंत्रित करते हैं, **समापन तिथि 16.01.2026, 15:00 बजे.** बोलीदाता केवल समापन तिथि और समय तक ही अपनी मूल / संशोधित बोलियाँ प्रस्तुत कर सकेंगे, इस निविदा के सामने मैन्युअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं है, और प्राप्त किसी भी ऐसे मैन्युअल प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया जाएगा;

(1)	**कार्य का नाम:** अहमदाबाद मंडल के सिग्नलिंग सामग्री की अंशतः आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण एवं प्रवर्तन के सम्बन्ध में अधोलिखित कार्यों (1) महेसाणा वीरमगाम सेक्शन कवर्ड अप्रोच के साथ आरयूबी प्रदान करके लेवल क्रॉसिंग को खत्म करना। (13,15,21,22) (2) वीरमगाम महेसाणा भीलड़ी पालनपुर सेक्शन कवर्ड अप्रोच के साथ आरयूबी प्रदान करके एलसी को खत्म करना। एलसी संख्या 12,19,24,42 और 13 (3) महेसाणा पाटन -भीलड़ी सेक्शन कवर्ड अप्रोच के साथ आरयूबी प्रदान करके लेवल क्रॉसिंग को खत्म करना। (06 संख्या) 14,34, 36,50,54 और 59;
(2)	**कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 91,74,663.51/- (रुपये इक्यानवे लाख चौहत्तर हज़ार छह सौ तिरसठ रुपये और इक्यावन पैसे मात्र)
(3)	**बयाना जमा राशि:** ₹ 1,83,500/- (रुपये एक लाख तिरासी हजार पांच सौ मात्र)
(4)	**बंद होने की तिथि और समय:** 16.01.2026 को 15:00 बजे के बाद नहीं;
(5)	**निविदा खोलने की तिथि और समय:** 16.01.2026 को 15:30 बजे खुलेगी;
(6)	**ई-टेंडरिंग की वेबसाइट: www.ireps.gov.in**

ADI – 235

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें : x.com/WesternRly

अटल नेतृत्व, अविरत विकास

गुजरात में राजस्व सुधारों से राज्य के नागरिकों को तेज एवं पारदर्शी सेवा सुनिश्चित हुई

▸▸ भूमि पंजीकरण से लेकर गैर कृषि भूमि की मंजूरी तक की प्रक्रियाएँ सरल, पारदर्शी तथा डिजिटल बनने से गुजरात सुशासन का रोल मॉडल बना

▸▸ iORA पोर्टल पर पिछले तीन वर्षों में 17.9 लाख से अधिक आवेदन प्रोसेस किए गए, फीडबैक सेंटर द्वारा 40 हजार से अधिक कॉल द्वारा रिस्पॉन्स प्राप्त किए गए

▸▸ गतिशक्ति पोर्टल के साथ एकीकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया तेज बनी

(जीएनएस)। गांधीनग : राज्य के नागरिकों तक प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जरूरी राजस्व सुधार कर सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका नेतृत्व पारदर्शिता, सरलता तथा टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन के लिए विख्यात है। इसी कारण गुजरात सरकार द्वारा लागू किए गए व्यापक सुधार आज राज्य के किसानों, उद्योगों तथा विकास परियोजनाओं के लिए वरदानस्वरूप सिद्ध हुए हैं। भूमि पंजीकरण से लेकर गैर कृषि (एनए) भूमि की मंजूरी तक की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं डिजिटल बनाए जाने से गुजरात सुशासन का रोल मॉडल बना है। इन सुधारों के कारण राज्य के विकास को नई गति मिली है, जो 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' तथा 'ईज ऑफ लिविंग' को मजबूती देती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग ने एंड-टू-एंड डिजिटल गवर्नेंस को नई गति दी है। ई-धरा जैसे सिस्टम्स को अधिक मजबूत बनाया गया है, जिसके कारण सत्यापनयुक्त भूमि रिकॉर्ड सुरक्षित एवं तेजी से नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप भूमि संबंधी विवादों में उल्लेखनीय कमी आई है। कानूनी सुरक्षा बनाए रखते हुए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गैर कृषि (एनए) भूमि मंजूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन बनाई गई है। इसमें समय पर मंजूरी मिलने से समय एवं खर्च में कमी आई है और उद्योगों को फायदा होने के साथ किसानों के हित का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ; डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अंतर्गत 34 जिलों में भूमि मापन तथा रीसर्वे के कार्य के कारण भूमि विवादों में कमी आई है और किसानों को ऋण, फसल बीमा तथा सरकारी सहायता आसानी से मिल रहे हैं।

iORA पोर्टल पर 17.9 लाख से अधिक आवेदन प्रोसेस किए गए

भूमि आवंटन से जुड़े सुधारों के अंतर्गत iORA पोर्टल द्वारा राज्य के नागरिकों तक तेज एवं पारदर्शी सेवाएँ पहुँचाने में सरलता हुई है। 7/12 उतारो (लैंड रिकॉर्ड्स) के अलावा वंशानुगत रिकॉर्ड, गैर-कृषि की अनुमति तथा भूमि मापन जैसे 36 से भी अधिक राजस्व सेवाओं का लाभ iORA पोर्टल द्वारा घर बैठे लिया जा सकता है। वर्ष 2022 से 18 दिसंबर 2025 तक iORA पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की 36 सेवाओं से जुड़े कुल 17.9 लाख से अधिक आवेदन प्रोसेस किए गए हैं। इस फेसलेस सर्विस के कारण सेवाओं में पारदर्शिता आई है और निर्णय प्रक्रिया तेज बनी है। iORA फीडबैक सेंटर पर लगभग 40799 कॉल के जवाब दिए गए हैं।

सेवाओं में डिजिटलाइजेशन तथा टेक्नोलॉजिकल सुधार

राजस्व सेवाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी को शामिल किए जाने से कामकाज अधिक आसान, पारदर्शी तथा तेज बना है। गरवी 2.0 पोर्टल के राज्यव्यापी क्रियान्वयन द्वारा दस्तावेज पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं फेसलेस बनाई गई है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन फ्लाइट द्वारा 8700 से अधिक गाँवों में सर्वेक्षण पूर्ण कर 11.52 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया है। जन सेवा तथा ई-धरा केन्द्रों से फिजिकल हस्ताक्षर-मुहर आदि की डिजिटल हस्ताक्षर एवं क्यूआर कोड वाली प्रतियाँ (VF-6, VF-7, 8A) प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा; आवेदक अब सिटी सर्वे कार्यालय पर प्रत्यक्ष जाए बिना ऑनलाइन माध्यम से ई-सील प्रमाणित प्रॉपर्टी कार्ड की प्रति घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।

अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से भूमि की मैपिंग, 3339 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की भूमि अतिक्रमणमुक्त की गई

राजस्व विभाग ने इसरो की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य के समग्र भूभाग की उच्च रिजॉल्यूशन क्षमता के साथ मैपिंग शुरू की है। इस पहल अंतर्गत सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमणों, लीज पर दी गई भूमि के दुरुपयोग तथा अनियंत्रित खनन जैसी गतिविधियों पर सटीक देखरेख रखी जाती है। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तथा मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी द्वारा कोई भी अवैध फेरबदल होते ही iORA और RO Diary पर स्वचालित (ऑटोमैटिक) अलर्ट जनरेट होता है, जिससे भूमि पर त्वरित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। राज्य में सरकारी जमीनों के संरक्षण के लिए चलाए गए सघन अभियान द्वारा अब तक 3990 हेक्टेयर से अधिक भूमि अतिक्रमणमुक्त की गई है। पुनः प्राप्त की गई इस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 3339 करोड़ रुपए से अधिक है।

गतिशक्ति पोर्टल के साथ एकीकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया तेज बनी

भूमि अधिग्रहण कार्य को तेज बनाने के लिए गतिशक्ति पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है, जिसके कारण राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 60 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण किया गया है। इनमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे, आबू रोड-तारंगा हिल रेलवे तथा केशोद एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सफलतापूर्वक भूमि अधिग्रहण होने से किसानों को तेजी से मुआवजा मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किए गए इन निर्णयों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुसार 'विकसित भारत@2047' के लिए विकसित गुजरात निर्माण की यात्रा अधिक वेगवान बनेगी। गुजरात में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एक कदम आगे बढ़कर 'कम्फर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस' तथा 'मैक्सिमम गवर्नेंस-मिनिमम गवर्नमेंट' चरितार्थ होंगे।

जघन्य अपराध पर कड़ा फैसला, इंसाफ की जीत

(जीएनएस)। संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में वर्ष 2018 में हुए दिल दहला देने वाले सामूहिक दुष्कर्म और जिंदा जलाकर हत्या के मामले में न्यायालय ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गुन्नौर तहसील के थाना रजपुरा क्षेत्र से जुड़े इस सनसनीखेज प्रकरण में अदालत ने चार दरिंदों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 1.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में शामिल एक बाल अपचारी की पत्रावली अलग कर दी गई है, जिसकी सुनवाई पृथक रूप से की जाएगी। यह मामला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। लंबी सुनवाई, गवाहों के बयान और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर

अदालत ने अभियुक्त आराम सिंह, भोना उर्फ कुमरपाल, गुल्लू उर्फ जयवीर और महावीर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 201, 302, 376-डी और 34 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पति ने 13 जुलाई 2018 की रात हुई घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर गांव के ही चार लोगों ने उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब आरोपियों को यह आशंका हुई कि घटना का खुलासा हो सकता है, तो उन्होंने सबूत मिटाने और अपने अपराध को छिपाने के लिए महिला को घर से कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर की झोपड़ी में जबरन बंद कर दिया और उस पर आग लगा दी। आग में झुलसने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। यह घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था और मामले ने राज्यभर में सनसनी मचा दी थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि अभियोजन ने अदालत के सामने सभी अहम साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक प्रमाण और प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज में ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश भी है कि कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने राहत की सांस ली है। वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवार का कहना है कि भले ही उनकी अपूरणीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन दोषियों को मिली सजा से उन्हें संतोष मिला है। यह निर्णय एक बार फिर यह साबित करता है कि न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो समाज के लिए मिसाल बन जाता है।

गांव में दहशत, पिंजरे में तीसरी मादा गुलदार कैद

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में गुलदार की बढ़ती मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव धनसिनी में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने एक पिंजरे में मादा गुलदार को कैद देखा। यह एक माह के भीतर उसी क्षेत्र में पकड़ी गई तीसरी मादा गुलदार है, जिससे इलाके में भय और चिंता और गहरा गई है।

सुबह जैसे ही गुलदार के पिंजरे में फंसे होने की खबर गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। कुछ लोग गुलदार को देखने के लिए उत्सुक नजर आए, तो कई लोग अपने मोबाइल से फोटो और सेल्फी लेते भी दिखाई दिए। भीड़ बढ़ने से स्थिति संवेदनशील हो गई, लेकिन काफी देर तक वन विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। करीब एक घंटे तक इंतजार के बाद ग्रामीणों ने खुद ही सुरक्षा की दृष्टि से पिंजरे में बंद गुलदार को गांव के बाहर लाने का निर्णय लिया।

ग्रामीणों ने सावधानीपूर्वक पिंजरे को एक वाहन पर लादा और उसे जालपुर स्थित वन विभाग की नर्सरी तक पहुंचाया। इस दौरान एक बार पिंजरा वाहन पर चढ़ाते समय उसका दरवाजा कुछ क्षणों के लिए खुल गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि गुलदार के थके और कमजोर होने के कारण वह बाहर नहीं निकली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि गुलदार बाहर निकल आती, तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी।

स्थानीय लोगों के अनुसार जिस खेत में यह गुलदार पकड़ी गई है, वहीं पहले भी पिंजरा लगाया गया था और उसी स्थान पर दो अन्य गुलदार पहले ही पकड़े जा चुके हैं। लगातार गुलदारों के पकड़े जाने से ग्रामीणों में यह आशंका गहराने लगी है कि क्षेत्र में इनकी संख्या अभी और भी हो सकती है। किसान खासकर रात के समय खेतों में जाने से डर रहे हैं और बच्चों को अकेले बाहर निकलने से रोक दिया गया है।

मामले की जानकारी मिलने पर प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर जयसिंह कुशवाहा ने बताया कि पकड़ी गई मादा गुलदार का पहले चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा। उसकी सेहत की जांच के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उसे किसी सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस तरह की स्थिति में स्वयं जोखिम न लें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें।

गांव धनसिनी और आसपास के इलाकों में लगातार गुलदारों की मौजूदगी ने वन विभाग के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। ग्रामीण अब स्थायी समाधान और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी अनहोनी से बचा जा सके।

फर्जी निकली स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद लौटी सामान्य स्थिति

(जीएनएस)। नोएडा। नोएडा के कई प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ई-मेल पुलिस जांच में पूरी तरह फर्जी निकला। धमकी की सूचना मिलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। हालांकि, व्यापक जांच और सघन तलाशी अभियान के बाद जब किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला, तो प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने राहत की सांस ली। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह सेक्टर-100 स्थित स्टेप बाय स्टेप स्कूल सहित कुछ अन्य शैक्षणिक संस्थानों को धमकी भरा ई-मेल मिलने की जानकारी सामने आई। संदेश में स्कूलों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें स्कूल परिसरों में पहुंचीं और छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जांच शुरू की गई। एहतियातन स्कूलों के आसपास के इलाकों, मेट्रो मॉल और अन्य संवेदनशील तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों की भी गहन तलाशी ली गई।

पुलिस उपायुक्त जोन-प्रथम यमुना प्रसाद ने बताया कि जांच के दौरान कहीं भी कोई विस्फोटक सामग्री, संदिग्ध बैग या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। सभी सुरक्षा मानकों के अनुसार जांच पूरी करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि धमकी भरा

ई-मेल पूरी तरह फर्जी था। इसके बाद स्थिति सामान्य कर दी गई और स्कूलों में दोबारा शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हुईं।

डीसीपी ने यह भी बताया कि पुलिस अब साइबर माध्यमों की मदद से यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरा ई-मेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे किस व्यक्ति या समूह का हाथ है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल सुराग खंगाले जा रहे हैं, ताकि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले भी नोएडा और एनसीआर के कई स्कूलों को इसी तरह के फर्जी धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। ऐसे मामलों में अक्सर शरारती तत्व डर और अफरा-तफरी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि कहीं यह किसी संगठित गिरोह की साजिश तो नहीं है।

इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन किसी भी तरह की संदिग्ध सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और फर्जी धमकियां देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

शास्त्री पुल पर दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से दो युवकों की मौके पर मौत

(जीएनएस)। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई। झूंसी थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री पुल पर तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दो दोस्तों को पीछे से कुचल दिया। टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि इस हादसे में दारागंज थाना क्षेत्र के मोरी दारागंज निवासी 32 वर्षीय विशाल मिश्रा पुत्र जय किशुन मिश्र और उनके साथी 35 वर्षीय अंकुर की मौत हुई है। विशाल, जिन्हें विकास के नाम से भी जाना जाता था, गुरुवार रात अपने दोस्त अंकुर के साथ मोटरसाइकिल से घर से निकले थे। दोनों दारागंज से अंदावा जाने के लिए शास्त्री पुल की ओर बढ़ रहे थे।

जब वे झूंसी थाना क्षेत्र में शास्त्री पुल पर पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी अधिक थी और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और ट्रक के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

नए बीमा कानून से आम आदमी के लिए आसान और सुरक्षित हुआ जीवन बीमा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक आर. दुरईस्वामी ने संसद से पारित नए बीमा विधेयक को देश के बीमा क्षेत्र के लिए एक निर्णायक और दूरगामी बदलाव बताया है। उनका कहना है कि इस कानून से न केवल जीवन बीमा को आम लोगों के लिए अधिक सरल और सुलभ बनाया गया है, बल्कि पॉलिसीधारकों की सुरक्षा भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह विधेयक बीमा उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और बीमा उत्पादों को ज्यादा किफायती बनाकर समाज के हर वर्ग तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

शुक्रवार को जारी अपने बयान में एलआईसी प्रमुख ने कहा कि 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 का मूल उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और नियामकीय ढांचे को समय के अनुरूप मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्षों पुराने प्रावधानों को आधुनिक बनाकर इस विधेयक के जरिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी को नई मजबूती मिली है। इससे न केवल उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि बीमा उद्योग की दीर्घकालिक और स्थिर वृद्धि का रास्ता भी खुलेगा।

आर. दुरईस्वामी के अनुसार संशोधित

कानून से बीमाकर्ताओं को संचालन में अधिक लचीलापन मिलेगा और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। बदलती सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब सेवानिवृत्ति सुरक्षा, दीर्घायु से जुड़े समाधान और स्वास्थ्य बीमा जैसे क्षेत्रों में नए और लक्षित उत्पाद विकसित करना आसान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की विस्तारित और सशक्त भूमिका से पूरे क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास संभव होगा, जिससे उपभोक्ता हितों की रक्षा के साथ-साथ तकनीकी और उत्पाद नवाचार को भी गति मिलेगी।

एलआईसी प्रमुख ने भरोसा जताया कि इन सुधारों से एलआईसी को देश के कोने-कोने तक अपनी पहुंच और मजबूत करने में मदद मिलेगी। अत्याधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग से सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और सार्वभौमिक बीमा कवरेज के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में एलआईसी की भूमिका और प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक बीमा को केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनाने की दिशा में अहम कदम है।

गौरतलब है कि संसद ने बुधवार को 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' विधेयक, 2025 को पारित कर बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता खोल दिया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी देशभर में बीमा की पहुंच बढ़ाने और आम लोगों में बीमा के प्रति जागरूकता को मजबूत करने पर जोर दिया था। नए कानून से बीमा क्षेत्र में निवेश, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को नई गति मिलने की उम्मीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ पॉलिसीधारकों और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

गुजरात की पहली मुस्लिम महिला आईपीएस सारा रिजवी जम्मू-कश्मीर में दो साल और निभाएंगी अहम जिम्मेदारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। गुजरात की पहली मुस्लिम महिला आईपीएस अधिकारी सारा रिजवी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। केंद्र सरकार ने उनकी अंतरराज्यीय कैडर प्रतिनियुक्ति को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वह फिलहाल गुजरात लौटने के बजाय जम्मू-कश्मीर में ही अपनी सेवाएं देती रहेंगी। सारा रिजवी इस समय जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर कार्यरत हैं और सुरक्षा व प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रही हैं।

साल 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी सारा रिजवी मूल रूप से गुजरात कैडर की हैं। अक्टूबर 2022 में उन्हें निजी कारणों के आधार पर गुजरात से जम्मू-कश्मीर अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। पहले यह प्रतिनियुक्ति तीन वर्षों के लिए थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने दो साल और बढ़ाने का फैसला किया है। उनके कार्यकाल के विस्तार को जम्मू-कश्मीर में उनके अनुभव, प्रशासनिक क्षमता और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। सारा रिजवी का नाम इसलिए भी विशेष है क्योंकि वह गुजरात कैडर की पहली मुस्लिम महिला आईपीएस अधिकारी हैं। मुंबई

में जन्मीं सारा रिजवी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई और स्नातक तक की शिक्षा मुंबई से ही प्राप्त की। वह वाणिज्य विषय से स्नातक हैं और एक समय चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखती थीं। हालांकि, उनकी जिंदगी की दिशा उस वक्त बदल गई, जब वे डॉ. के. एम. आरिफ के एक व्याख्यान से प्रभावित हुईं। इसी प्रेरणा ने उन्हें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की ओर मोड़ा।

सारा रिजवी ने यूपीएससी की तैयारी उर्दू माध्यम से की, जो अपने आप में एक मिसाल है। उन्हें इस दौरान एमईसीओ (मॉडर्न एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन) से पूरा सहयोग मिला। दो प्रयासों में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की और आईपीएस अधिकारी बनीं।

आईपीएस बनने के बाद सारा रिजवी की पहली पोस्टिंग गुजरात के जामनगर में हुई। इसके बाद उन्हें राजकोट जिले के गोंडल तालुका में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में तैनात किया गया। उस दौर में गोंडल गैंगवार के लिए कुख्यात था, लेकिन सारा रिजवी ने वहां कानून-व्यवस्था संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक सख्त व संवेदनशील अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई।

जम्मू-कश्मीर में भी सारा रिजवी कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। वह उधमपुर में डीआईजी के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। इसके अलावा डीआईजी जम्मू (आईआर) और डीआईजी जम्मू आर्म्ड का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला है। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में डीआईजी के तौर पर उनकी भूमिका रणनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सारा रिजवी का पारिवारिक जीवन भी उतना ही संतुलित और प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने वर्ष 2007 में मुनव्वर खान से शादी की थी। उस समय मुनव्वर खान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में ट्रेनी सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। सारा रिजवी एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता अफजल अहमद विज्ञान स्नातक हैं, जबकि उनकी मां निगार रिजवी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनके भाई सिविल इंजीनियर हैं और बहन समीरा कंप्यूटर स्नातक हैं, जो वर्तमान में दुबई में रहती हैं।

गुजरात की पहली मुस्लिम महिला आईपीएस के रूप में सारा रिजवी न केवल प्रशासनिक सेवाओं में बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक मजबूत प्रतीक बन चुकी हैं। उनका सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद सिविल सेवा में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर में उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार उनके अनुभव और कार्यशैली पर भरोसा जता रही है।